

FORM No III

फर्द अहकाम

( नियम 26 )

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

मोहम्मद महबूब बनाम मोहम्मद इदरिश व अन्य

किस्म मुकदमा अर्न्तगत धारा 188, 92ए एवं 209 आरटीए

मु0न0 101/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.10.2023	<p>वादी द्वारा वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188, 92ए एवं 209 आरटीए का जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया। वाद पत्र पर वादी के अभिभाषक को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 26.10.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर</p> <p>26/10/23 आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/राजकार्य से दौरे /अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनांक 7/11/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> रीडर न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर</p> <p>7/11/23 आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/राजकार्य से दौरे /अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनांक 12/2/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> रीडर न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर</p> <p>12/2/24 आज PO सा. के प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त/राजकार्य से दौरे /अवकाश/स्थानान्तरण कारण पत्रावली पूर्ववत कार्यवाही हेतु उनके समक्ष दिनांक 21/5/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> रीडर न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर</p>	
15/03/24	<p>द्वि.वादी द्वारा वाद विद्रो करने हेतु प्रा. पत्र पेश किया। पत्रावली तलब की गई। वादी स्वयं उप0। प्रा. पत्र में कथन किया कि राजस्व वाद में राजीनामा होने से वाद को हाजे नहीं चलाना चाहते एवं वाद विद्रो करना चाहते हैं। वादी का प्रा. पत्र स्वीकार कर वाद विद्रो की अनुमति दी जाती है। वादी की पहचान द्वि.वादी ने तस्दीक की।</p>	<p><i>[Signature]</i> मुकदमा 15/3/24</p>

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

*[Signature]*  
सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर

